

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- स. 3-6(7)स्था/मंत्रा/अभि/18/ 13618-26 दिनांक :- २६.१०.१८
—: आदेश :—

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12101-12160 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत कर, आदेश क्रमांक 1023-150 दिनांक 04.10.2018 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया गया था :—

क्र0 स0	कार्मिक का नाम मय पद एवं पूर्व पदस्थापित स्थान	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1.	श्री औम प्रकाश चौहान, कार्यालय स.नि.अ. कोटा	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. बांरा
2.	श्री मक्खन लाल मीणा, कार्यालय स.नि.अ. टोक	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. स0 माधोपुर
3.	श्री देवीलाल, कार्यालय स.नि.अ. नागौर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. चुरु
4.	श्री अशोक कुमार आचार्य, कार्यालय स.नि.अ. जोधपुर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. सिरोही
5.	श्री महेश चन्द शर्मा, कार्यालय स.नि.अ. अजमेर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. चित्तौडगढ़
6.	श्री बृजलाल जोशी, कार्यालय स.नि.अ. अजमेर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. राजसमन्द
7.	श्री नारुलाल रेगर, कार्यालय स.नि.अ. चित्तौडगढ़	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. उदयपुर
8.	श्री हनुमान प्रसाद, कार्यालय स.नि.अ. नागौर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. जयपुर प्रथम
9.	श्री मधुसूदन कोली, कार्यालय स.नि.अ. अजमेर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. राजसमन्द
10.	श्री गोबिन्द सिंह, कार्यालय स.नि.अ. अजमेर	2018-19	कार्यालय स.नि.अ. पाली

उक्त सभी 10 कार्मिकों द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इन्हे पदोन्नति परित्याग (फोरगो) करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर वरिष्ठ सहायक के पद पर यथावत रखा जाता है। जिन कार्मिकों को अपने मूल पद से कार्यमुक्त कर दिया है, वे उसी पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, जहाँ से उन्हे कार्यमुक्त किया गया था।

—sd—
(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
7. सम्बंधित कार्मिक।
8. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर